राजस् थान उच् चन् यायालय, जोधपुर

-:: निर्णय::-

लक्ष्मीनारायण व अन्य :बनाम : राजस् थानराज य

एकल पीठ फौजदारी जेल अपील संख या: **255/2006**
विरूद्ध निर्ण य दिना ंक : 24.2.2006, जो विविध आपराधिक प्रकरण संख्या : 100/05 (मूल सेशन केस स ं. 70/05) में अपर स ेशन न् यायाधीश (फास्ट ट्रे क) क्रम 1, उदयपुर द्वारा पारित किया गया।

* * * * *

निर्णय दिनांक : 24 जुलाई, **2006**

-: उपि स् थत-

माननीय न् यायाधिपति श्री कृष् णकुमार आचार्य

अपीलार्थी की ओर से श्री राजेश भाटी, न्याय-मित्र,
जन अभियोजक श्री एस.एन.तिवारी।

* * * * *

न् यायालय द्वारा:

यह जेल अपील अपीलाण्ट लक्ष्मीनारायण व रघुवीर सिंह ने अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्रम-1, उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.2.06 की नाराजगी में प्रस्तुत की गई है। रघुवीर सिंह की ओर

से इस न्यायालय में अलग से रिप्रजंटेटिव अपील एकल पीठ फौजदारी अपील संख्या 326/06 प्रस्तुत की गई, जो इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 10.4.06 से निस्तारित की जा चुकी है जिसमें जमानत राशि 10,000/- से घटाकर 7,500/- की गई एवं यह राशि जमा नहीं होने पर सिविल कारावास की सजा 6 माह से घटाकर 3 माह सिविल कारावास की सजा की गई। इस प्रकार इस जेल अपील में रघुवीर सिंह के सम्बन्ध में अलग से आदेश देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी रिप्रजेंटेटिव अपील इस न्यायालय द्वारा पूर्व में ही निस्तारित की जा चुकी है।

तथ्य प्रकरण के संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट लक्ष्मीनारायण एवं रघुवीर सिंह द्वारा अभियुक्त मंगते ऊर् जलालुदीन की जमानत सरकार बनाम मोहम्मद मोहम्मद इशाक वगैरा, मुकदमा नम्बर 70/05, अपराध अन्तर्गत धारा 379, 328/511 भा.दं.सं. के अपराध में दस-दस हजार रूपए की जमानत दी गई थी। अभियुक्त 28.7.05 को अनुपस्थित हो गया, उसकी जमानत जब्त की गई और धारा 446 दं.प्र.सं. की कार्यवाही खोली गई। तत्पश्चात् दोनों जमानतियों को नोटिस दिए गए और यह जमानती लक्ष्मीनारायण 15.10.05 को उपस्थित आया और अभियुक्त को पेश करने का समय चाहा। फिर 7.11.05 को भी अभियुक्त को पेश करने का उसने समय चाहा। 18.11.05 को उपस्थित नहीं आने पर जमानत की राशि पूरी दस-दस हजार रूपए की दोनों जमानतियों से जब्त की गई। 6.2.06 को लक्ष्मीनारायण व रघुवीर सिंह के उपस्थित नहीं आने पर कुर्की वारण्ट जारी किया गया, उसके बाद उन्होंने जमानत राशि जमा कराने का समय चाहा। रघुवीर सिंह को आदतन जमानती पाया गया था, मगर लक्ष्मीनारायण के

विरूद्ध ऐसी कोई बात नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 446 (3) के प्रावधानों के तहत विचार करने के बाद राशि जमा नहीं कराने पर रघुवीर सिंह व लक्ष्मीनारायण को 6-6 माह सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया, जिसके विरूद्ध यह जेल अपील है।

यह जेल अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब कया गया और श्री राजेश भाटी, अधिवक्ता को न्याय-मित्र नियुक्त किया गया। एडमिशन स्टेज पर ही इस अपील में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट लक्ष्मीनारायण का तर्क है कि इस प्रकरण में सह-अपीलाण्ट रघुवीर सिंह की अपील में इस न्यायालय द्वारा विचार करने के बाद जमानत की राशि 10,000/- वसूली के जो आदेश दिए गए थे उसे घटाकर 7,500/- रूपए करने के आदेश दिए गए हैं और जमानत राशि जमा नहीं होने पर जो 6 माह सिविल कारावास की सजा दी गई थी उसे घटाकर 3 माह के सिविल कारावास की सजा दी गई है। उनका तर्क है कि अपीलाण्ट पिछडी जाति का व्यक्ति है और उसके द्वारा अभियुक्त को न्यायालय में हाजिर करने के प्रयास भी किए हैं, इन परिस्थितियों को देखते हुए उपरोक्त राशि माफ की जावे और विकल्प में बहस की है कि सहअभियुक्त के समान ही इसकी राशि भी घटाई जावे। यह अभियुक्त पांच माह से सिविल जेल भुगत रहा है, उसे भुगती सजा में रिहा किया जावे। योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट ने सह-अपीलाण्ट रघुवीर सिंह की रिप्रजेंटेटिव अपील एकल पीठ फौजदारी अपील संख्या 326/06 में पारित निर्णय दिनांक 10.4.06 व आर एल डब्ल्यू 1997 (2) राज. 737 (देवालाल बनाम राजस्थान राज्य) विनिश्चय पेश किए।

योग्य जन अभियोजक को सुना गया। उन्होंने सहअभियुक्त रघुवीर सिंह की अपील आंशिक रूप से स्वीकार होना स्वीकार किया है और उनका तर्क है कि प्रकरण में आई परिस्थितियों को देखते हुए चूंकि अपीलाण्ट बावजूद देने समय अभियुक्त को पेश नहीं कर सका है अत: पूर्ण राशि जब्ती का आदेश दिया है और वसूली की कार्यवाही की जा रही है, अत: अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जावे।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। सह-अपीलाण्ट रघुवीर सिंह की रिप्रजेंटेटिव अपील एकल पीठ फौजदारी अपील संख्या 326/06 में पारित निर्णय दिनांक 10.4.06 का अवलोकनकिया जिसमें सभी परिस्थितियों और प्रस्तुत विनिश्चयों के विवेचन एवं प्रकरण में आए तथ्यों पर विचार करने के बाद जमानत राशि 10,000/- से घटाकर 7,500/- और यह राशि जमा नहीं कराने पर सिविल जेल भी 6 माह से घटाकर 3 माह की गई। योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दूसरे विनिश्चय देवालाल बनाम राजस्थान राज्य (उपरोक्त) वाले प्रकरण में प्रार्थी पिछडे वर्ग का घुमन्तु जाति का था, प्रकरण में आई परिस्थितियों को देखने के बाद कारावास की अवधि भुगते कारावास एक माह की रखी और अर्थदण्ड 5,500/- से घटाकर 2,000/- किया गया।

अब इस प्रकरण के तथ्यों पर आवें। अपीलाण्ट लक्ष्मीनारायण द्वारा भी अभियुक्त को न्यायालय में लाने के दो बार प्रयास किए हैं। अपीलाण्ट पिछडे वर्ग का है और गरीब व्यक्ति है, इसे विधिक सहायता समिति की ओर से अभिभाषक की सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। प्रकरण में आई सभी परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए, चूंकि सह-जमानती रघुवीर सिंह की

रिप्रजंटेटिव अपील में जमानत की राशि 10,000/- रूपए से घटाकर 7,500/- रूपए की गई है, अत: इस अपीलाण्ट की जमानत राशि भी 10,000/- रूपए से घटाकर 7,500/- रूपए की जाती है और यह राशि जमा नहीं कराने पर, अपीलाण्ट को 6 माह के सिविल कारावास की सजा दी गई थी, जो घटाकर अभी तक जितनी सजा वह भुगत चुका है, उस भुगते कारावास की सजा में उसे रिहा किया जाता है। यदि अपीलाण्ट की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो तो उसे उपरोक्त भुगती कारावास की सजा में तुरन्त रिहा कर दिया जावे।

उपरोक्त प्रकार से यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(न यायाधिपति कृष णकुमार आचार्य)

जी.एन.शर्मा]